(296)

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक :– 1711 दिनांक :– 25.10.18

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक,
झारखण्ड, राँची।
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

विषयः– डेडीकेटेट फ्रेट कोरीडोर द्वारा दानकुनी पश्चिम बंगाल से सोननगर सेक्शन निर्माण पूर्वी डेडीकेटेट फ्रेट कॉरीडोर के तहत कोडरमा Detour (PPP Mode) से हजारीबाग तक (Detour Section) के निर्माण हेतु कुल 203.803 हे0 वनभूमि (हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 121.003 हे0 एवं वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत 82.80 हे0) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– 1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 1706 दिनांक 04.10.2018

2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 2546 दिनांक 01.09.2018

URGENT

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 203.803 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच–पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई है। मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिलेखों के प्रारंभिक समीक्षा में निम्न अभिलेखों में स्पष्टता/सुधार की आवश्यकता है, जो प्रमण्डलवार एवं प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से निम्नवत् किया जाना है :–

1. प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से अपेक्षित सुधार
   i. पार्ट–I के विन्दु I(ii) पर वन्यप्राणी प्रस्ताव समर्पित करने संबंधी विवरणी/अभिलेख वर्णित किया जाना अपेक्षित है।
   ii. प्रस्ताव के साथ 203.803 हे0 अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध 158.034 हे0 का FRA Certificate संलग्न है। शेष क्षेत्रफल हेतु FRA Certificate संलग्न किया जाना अपेक्षित है।

2. हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल के स्तर से अपेक्षित सुधार

   प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट–II के निम्न विन्दुओं पर अपेक्षित सुधार –

   4.(i) अपयोजन क्षेत्रफल 121.003 हे0 के स्थान पर 120.877 हे0 अंकित है।

   4.(ii) कॉलम में दर्ज कुल वृक्षों की संख्या 47,548 है, जबकि संलग्न अनुलग्नक–xxv पर कुल वृक्षों का सारांश 48,571, जो विरोधाभाषी है।

   5. Working Plan prescription अंकित नहीं है।

   8(i) एवं 8(v) में परस्पर विरोधाभाषी तथ्य अंकित है।

   13.(i) इस विन्दु पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित वनभूमि में वर्णित प्लॉट सं0 एवं CA land की उपयुक्तता प्रमाण पत्र में प्लॉट सं0 1577, 1566, 1578 एवं 1601 वर्णित नहीं है।

   13.(iv) Uploaded Toposheet में चिन्हित CA land नहीं दर्शाया गया है।

C:\Users\PCCFEB\Desktop\DFCCIL 203.803 ha dt. 05.10.18 - Copy.docx

कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग
पत्रांक 6871

3. हजारीबाग वन्यप्राणी प्रमंडल के स्तर से अपेक्षित सुधार

प्रस्ताव के साथ संलग्न पार्ट–II के निम्न बिन्दुओं पर अपेक्षित सुधार –

3. जिला एवं प्रमंडल में अपयोजित होनेवाली वनभूमि अंकित नहीं किया गया है।

4.(ii) प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना सूची Upload नहीं किया गया है।

5. Management Plan prescription अंकित नहीं है।

16. आपके Recommendation letter के बिन्दु 4, 10 एवं 13 पर उद्धृत शर्तों का औचित्य एवं आधार उल्लेखित की जाय।

अनु0–xiv आपके द्वारा CB analysis में Cost/Benefit estimation में कतिपय सुधार किये गये है, जिसके कारण परियोजना के इस अंश से संबंधित CB ratio 1:0.24 हो गया है। Benefit Calculation अंश में सुधार किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाय।

अतः दोनों वन प्रमण्डलों से संबंधित प्रस्ताव की पाँच–पाँच मूल प्रतियाँ वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त अपेक्षित खामियों में आवश्यक सुधार हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित कर प्रस्ताव में आवश्यक संशोधनोपरांत इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।
प्रस्ताव की पाँच–पाँच मूल प्रतियों के साथ।

25.X.2018

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।

ज्ञापांक : 2945 दिनांक : 26.10.2018.

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में पत्र में निहित निर्देश के अनुरूप अभिलेखों में स्पष्टता/सुधार करते हुए संशोधित प्रस्ताव अविलम्ब समर्पित की जाय।

26/10/18
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

कार्यालय, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

ज्ञापांक– 2784 दिनांक :– 30/10/18

प्रतिलिपि वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची द्वारा प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में पत्र में निहित निर्देशों के अनुरूप अभिलेखों में स्पष्टता/सुधार करते हुए संशोधित प्रस्ताव अविलंब समर्पित किया जाय।

30/10
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग